

प्रेषक,

श्री अशोक गांगुली
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र, 2 तम्रदाय केन्द्र,
प्रोन्नत विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 875 अनुभाग

तख्तक : दिनांक : 19 मार्च, 1997

विषय:- नेशनल पब्लिक स्कूल, बहेड़ी, बरेली को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

=====

महोदय,

उपयुक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नेशनल पब्लिक स्कूल, बहेड़ी, बरेली को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में हरा राज्य सरकार की निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :

- 1.- विद्यालय की पंजीकृत तोताबद्धी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा
- 2.- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होना
- 3.- विद्यालय में कम से कम दस प्रमाणित स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4.- संस्था द्वारा राज्य सरकार से विरही अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/यसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद को सित फर दि हंडियन स्कूल सर्टीफिकेट हक्कासिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान रयतः समाप्ता हो जायेगी ।
- 5.- संस्था में शिक्षक एवं शिक्षणतार कर्मचारियों की राजकीय द्रम सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमत्त वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।

कर्मचारियों की सेवा शर्तें मनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त असासकीय अख्यतार माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमत्त सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

6.- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

7.- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परियार्ज/संगोपन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि वे अधिक्य में कक्ष मानक के अनुसार बनाये जायें तथा छात्रों व अध्यापकों से अनुरोध सहयोग राशि/अनुदान के रूप में नहीं ली जायेगी।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चुक या झिझक मरती पाई जाती है राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भयली,

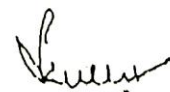
अशोक मांगली
संयुक्त सचिव।

संख्या-111/15-7-161371/96, तदुद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1.- शिक्षा निदेशक, उ०प्र०, लखनऊ
- 2.- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, बरेली
- जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली।
- निरीक्षक, आरंभ भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- प्रबन्धक, नेशनल पब्लिक स्कूल, गढ़वा, बरेली।

आज्ञा से,



अशोक मांगली
संयुक्त सचिव।